Investment Subsidy

उद्योग निवेश अनुदान योजना 2004

1– शीर्षकः–

इस योजना का शीर्षक ''मध्यप्रदेश उद्योग निवेश अनुदान योजना– 2004'' होगा।

यह योजना नवीन लघु उद्योगों, विद्यमान मध्यम/वृहद श्रेणी उद्योग के विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/आधुनिकीकरण, थ्रस्ट सेक्टर एवं पुनर्वासित लघु/मध्यम एवं वृहद उद्योग हेतु लागू होगी ।

2– योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र

उद्योग निवेश अनुदान योजना 2004, दिनांक 1 अप्रैल 2004 से 31.3.2009 तक निम्न क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में लागू होगी ।

(1) औद्योगिक दृष्टि से वर्गीकृत अग्रणी (विकसित) जिले (उक्त अंतर्गत 'क' एवं 'ख' को छोड़कर)

(क) अग्रणी जिले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों एवं महिला उद्यमियों व्दारा स्थापित औद्योगिक इकाईयों को निवेश अनुदान की पात्रता होगी।

(ख) अग्रणी जिले के स्थापित हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योगों को निवेश अनुदान की पात्रता होगी।

(2) नगर निगम की अधिसूचित सीमा।

(3) नगर/शहर जिनकी आबादी 2 लाख या अधिक हो (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर)।

(4) उपरोक्तानुसार बिन्दु 2 एवं 3 के 8 कि0मी0 की परिधी के अंदर स्थापित उद्योग।

किन्तु उक्त प्रतिबंध (2, 3एवं 4) उन उद्योगों पर लागू नही होगें जो औद्यागिक विकास केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्रों एवं संस्थानों में स्थापित हों।

3– परिभाषायें :–

1– **''राज्य शासन''** से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश शासन।

2– **''उद्योग आयुक्त''** से अभिप्रेत है उद्योग आयुक्त,उद्योग संचालनालय,मध्य प्रदेश

3– **''डी.टी.आई.सी.''** से आशय होगा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र।

4– **''अनुसूचित जातियों''** से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति के भाग उनमें समूह जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

5— **''अनुसूचित जनजातियों''** से अभिप्रेत है कोई जनजाति,जनजाति समुदाय अथवा जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के समूह जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

6— **''औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है, लद्यु श्रेणी एवं मध्यम/वृहद श्रेणी की औद्योगिक परियोजना, जिसकी स्थापना हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में पंजीकृत हो या भारत सरकार से आशयपत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट)/लायसेंस/आई.ई.एम. अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया है ।

7— **''लद्यु मध्यम एवं वृहद् औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है भारत सरकार उद्योग मंत्रालय व्दारा समय—समय पर परिभाषित लघु, वृहद एवं मध्यम उद्योग।

8— **''नई औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में स्थापित औद्योगिक इकाई जिसमें नई औद्योगिक इकाई के रूप में मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग में पंजीकृत हो, तथा दिनाक 1 अप्रैल 2004 को या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो।

9— **''विद्यमान औद्योगिक इकाई''** से अभिप्रेत है, ऐसी विद्यमान लघु, मध्यम या वृहद औद्योगिक इकाई, जो दिनांक 1.4.2004 के पूर्व से उत्पादनरत हो ।

10— **''विद्यमान इकाई में विस्तार करने वाली इकाई''** से अभिप्रेत है, वह व्यापारी जिसके व्दारा विद्यमान इकाई अन्तर्गत अनुमोदित क्षमता का विस्तार किया जाता है या डायवर्सिफिकेशन किए जाकर नवीन आयटम का उत्पादन किया जाता है। पूर्व स्थापित उद्योगों व्दारा क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन /तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किए गए स्थाई पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत के तुल्य नया स्थाई पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाईयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अन्तर्गत किए गए पूंजी निवेश पर नई इकाईयों के समान **''उद्योग निवेश पर अनुदान''** दिया जावेगा किन्तु विद्यमान इकाई में प्लांट एवं मशीनरी मद में कम से कम 5 करोड़ रूपये का अतिरिक्त पूंजी निवेश अनिवार्य होगा। साथ ही इकाई व्दारा अपनी औसत उत्पादन क्षमता, जो कि विगत तीन वर्षो के उत्पादन के आधार पर आंकलित की जावेगी, से अतिरिक्त उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जावेगा। जिन इकाईयों व्दारा अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नही किया गया हो, उन्हें विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

11— पुनर्वासित (Revived/Rehabilitated) इकाई से अभिप्रेत है, मध्यम एवं वृहद बीमार/बंद उद्योगों को बी.आई.एफ.आर.व्दारा परिसीमापन मत के उपरान्त अधिग्रहण/क्रय कर पुर्नसंचालित करने से है तथा लघु उद्योग के लिये पुनर्जीवन योजनान्तर्गत सक्षम प्राधिकारी व्दारा इकाई के लिए पुनर्वास योजना स्वीकृत करने से है।

12— **स्थिर आस्तियों में पूंजी निवेश से अभिप्रेत है,—**

(क) **मध्यम तथा वृहद औद्योगिक इकाई के संबंध में—**

(एक) भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत संस्थापनाएं और प्रदूषण निवारण उपस्करों में किया गया निवेश,

(दो) भूमि विकास में किया गया व्यय जो भूमि तथा भवन में किए गये निवेश के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा,

(तीन) प्रयोगशाला, अनुसंधान तथा प्रशासकीय भवन पर किया गया निवेश,

(चार) प्रयोगशाला तथा अनुसंधान के लिए मशीनरी तथा उपकरण पर किया गया निवेश,

(पॉच) रेल्वे साइडिंग के निर्माण पर किया निवेश,

(छः) गोदाम, स्टोरेज टेंक आदि पर किया गया व्यय,

(सात) उत्पादन के लिए स्थायी रूप से पट्टे पर अभिप्राप्त मशीनरी तथा उपकरण का ऐसा मूल्य जो राज्य शासन का वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग आदेश व्दारा विनिर्दिष्ट करें,

(ख) नई लद्यु औद्योगिक इकाई के संबंध में,–

ऊपर (1) के उपखण्ड (क) की मद (एक) से (चार) और (छः) पर किया गया निवेश अथवा व्यय,

स्पष्टीकरणः–

1– **भूमिः**– भूमि का वास्तविक मूल्य जो पंजीयन अभिलेखों में उल्लेखित हो यदि इकाई के स्वामित्व की भूमि होने पर जिला कलेक्टर व्दारा निर्धारित बाजार मूल्य।

2– **भवनः**–मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियर व्दारा प्रमाणित राशि।

3– **प्लांट एवं मशीनरी :–**

(i) इकाई के पंजीकृत उत्पाद के उत्पादन हेतु इकाई स्थल पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी के मूल्य जिसमें टूल्स, जिग्स्, डाईज, फिक्स्चर, मोल्ड्स, हेंडलिंग इक्यूपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, स्थापना व्यय, बीमा प्रिमियम, इलेक्ट्रिक आदि भी सम्मिलित किये जायें। आधुनिकीकरण एवं डायवर्सीफिकेशन अंतर्गत स्थापित मशीनों की राशि भी इस मद में जोड़ी जाएं।

(ii) पुरानी क्रय की गई मशीनरी (सेकेण्ड हेण्ड) की स्थापना पर व्यय की गई राशि को भी सशर्त निवेश अनुदान की गणना हेतु व्यय में सम्मिलित किया जावेगा, जो निम्नानुसार होगा :–

(अ) पुरानी स्थापित की गई कुल मशीनों के मूल्य का 50 प्रतिशत कीमत की सीमा तक मान्य होगी।

(ब) पुरानी मशीनों की कीमत का आंकलन मान्यता प्राप्त वैल्यूवर/चार्टर्ड इंजीनियर से प्राप्त होना आवश्यक है ।

(स) पुरानी मशीनों पर यदि मूल क्रयकर्ता द्वारा राज्य/केन्द्र लागत पूंजी अनुदान प्राप्त किया गया हो तो, इन मशीनों पर किये गये व्यय पर अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

(iii) स्थापित मशीनें जो कि उत्पादन प्रक्रिया से सीधे संबंधित हैं, उनकी कीमतें ही गणना में सम्मिलित होगी। वाहन एवं कंजयूमेबल स्टोर में किये गये व्यय को गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। प्रिलिमिनरी एवं प्री–आपरेटिव व्यय आदि को व्यय की गणना में मान्य किया जावेगा किन्तु मान्य योग्य कुल व्यय का 10 प्रतिशत सीमा तक ही मान्य होगा, जिसमें यात्रा एवं होटल में किये गये व्यय सम्मिलित न किये जायें।

(iv) लीज पर लिए गये प्लांट एवं मशीनरी अन्तर्गत लीजिंग फीस/चार्ज स्थिर आस्तियों कें पूंजी निवेश में सम्मिलित होगा (यदि लीज पर मशीन प्राप्तकर्ता (Lessee) के पक्ष में अधिकार एवं टाईटिल हस्तान्तरित न होने पर भी)

13— **''शून्य उद्योग विकास खण्ड''** से अभिप्रेत है, ऐसा विकास खण्ड जिसमें दिनांक 1.4.2004 की स्थिति में कोई मध्यम या वृहद उद्योग स्थापित न हो या राज्य शासन समय–समय पर परिभाषित किये जाये।''

14— **''अग्रणी जिलों या पिछड़ा 'अ', 'ब' एवं 'स' श्रेणी के जिलों''** से अभिप्रेत वर्गीकृत जिलों से है जैसा कि राज्य शासन व्दारा समय–समय पर अधिसूचित किये जाये। जिलों के वर्गीकरण संबंधी सूची राज्य शासन द्वारा शीघ्र जारी की जावेगी ।

15— **''खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों''** से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश शासन पृथक आगम विभाग व्दारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक 16–6–89–ग्यारह –ब दिनांक 17 जुलाई 1989 के एनेक्जर–।।। के अनुसार अनुक्रमांक 14 एवं 15 को छोड़कर उत्पाद से है जो **(परिशिष्ट–अ के अनुसार)**होगी ।

16— **''हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योगों''** से अभिप्रेत है, ऐसी औषधी या उत्पाद जिनका निर्माण खनिज, वनस्पती या जड़ी–बूटी से किया गया हो।

17— **''थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों''** से अभिप्रेत है, वस्त्र उद्योग, सूचना प्रोद्योगिकी, बायोटेक्नॉलाजी, आटोमोबाईल्स, फार्मास्यूटीकल्स् एवं हर्बल, फूड प्रोसेसिंग एवं कृषि एवं शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण पर आधारित उद्योगों से है।

18— **वित्तीय संस्था से अभिप्रेत है,** जिस संस्था ने उद्योगों को ऋण प्रदान कर वित्त पोषण किया है।

4— **योजना की प्रभावशीलता एवं विस्तार :–**

उद्योग निवेश पर अनुदान स्वीकृति योजना की प्रभावशीलता स्वामित्व/भागीदार उद्योग, प्रायवेट सेक्टर, सहकारिता क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र की कंपनी/उपक्रम जो भारत सरकार या राज्य शासन के अधीन में न हो, व्दारा दिनांक 1.4.2004 को या उसके पश्चात् मध्यप्रदेश में नवीन लघु उद्योग की स्थापना, थ्रस्ट सेक्टर के उद्योग तथा वृहद एवं मध्यम कार्यरत उद्योगों के विस्तार डायवर्सिफिकेशन तकनीक उन्नयन के लिए है।

5— इस योजना के अंतर्गत निवेश अनुदान कतिपय उद्योगों को उपलब्ध नही होगी, यथा, स्लॉटर हाउस, एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर), तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद, मदिरा, पान मसाला, गुटखा, परंपरागत् उद्योग इत्यादि। (सूची–शासन द्वारा शीघ्र जारी की जावेगी) (सूची संलग्न है)

6— निवेश अनुदान की मात्रा एवं अवधि :—

निवेश अनुदान की मात्रा एवं अवधि निम्नानुसार होगी :—

जिले की श्रेणी	अनुदान का प्रतिशत	अधिकतम राशि (रूपये लाख में)
पिछड़ा 'अ'	15	5.00
पिछड़ा 'ब'	15	10.00
पिछड़ा 'स'	15	15.00

(क) अग्रणी जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमी एवं महिला उद्यमियों व्दारा स्थापित लघु उद्योगों के लिये स्थायी पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम रूपये 5.00 लाख निवेश अनुदान दिया जाएगा।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों व्दारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान की 15 प्रतिशत, पिछड़ा अ, ब, स श्रेणी के जिलों में अधिकतम सीमा क्रमशः 6.00 लाख, 12.00 लाख एवं 17.50 लाख होगी ।

(ग) थ्रस्ट सेक्टर उद्योगों को सहायता :— 50.00 लाख से अधिक स्थायी पूंजी वेष्ठन वाले वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो टेक्नालाजी, आटोमोबाइल, फार्मास्यूटीकल एण्ड हर्बल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि एवं शहरी अपशिष्ट प्रसंस्करण आदि पर आधारित उद्योग, थ्रस्ट सेक्टर की श्रेणी में होगें तथा इन्हें विशेष प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस सेक्टर के अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्योगों को विशेष अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत पिछड़ा 'अ' जिलों में अधिकतम रूपये 10.00 लाख, पिछड़ा 'ब' जिलों में अधिकतम रूपये 15.00 लाख तथा पिछड़ा 'स' जिलों में अधिकतम रूपये 25.00 लाख की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।

(घ) हर्बल व आयुर्वेद उत्पाद आधारित उद्योग सामान्यतः अग्रणी जिलो में स्थापित होने की संभावना है जैसे कि इंदौर, भोपाल आदि मे। अतः ऐसे सभी अग्रणी जिलों में स्थापित होने वाले हर्बल व आयुर्वेदिक उद्योगों को पिछड़ा जिला श्रेणी ''अ'' के समान निवेश पर अनुदान, की पात्रता होगी ।

(ङ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर) संदर्भित बीमार वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को प्रबंधन परिवर्तन के व्दारा अधिग्रहित कर अथवा क्रय कर पुनर्वासित करने पर बी.आई.एफ.आर. व्दारा परिसमापन मत के उपरान्त लिक्वीडेशन में लंबित उद्योग तथा राज्य शासन के निगमों एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन या मध्यप्रदेश वित्त निगम व्दारा अधिग्रहित इकाईयों को क्रय/अधिग्रहित करने के पश्चात् अन्य इकाई या कंपनी को विक्रय करने पर यदि पुनर्वासित इकाई के स्थायी पूंजी निवेश में अधिग्रहणकर्ता/क्रयकर्ता व्दारा दिनांक 1.4.2004 को या उसके पश्चात् किया गया नवीन पूंजी निवेश पूर्व पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक होता है, तो उसे अतिरिक्त पूंजी निवेश पर नवीन इकाई को दी

जाने वाली जिले की श्रेणी के लिए निर्धारित पात्रतानुसार निवेश पर अनुदान दिया जावेगा।

(च) विद्यमान इकाई में क्षमता विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पर यदि पूर्व में किये गये स्थायी पूंजी निवेश के न्यूनतम 50 प्रतिशत के तुल्य अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश किया जाता है तो ऐसी इकाईयों को अतिरिक्त क्षमता विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन एवं पूंजी निवेश पर नई इकाईयों के समान उद्योग निवेश अनुदान दिया जावेगा। किन्तु अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश की राशि 5 करोड़ रूपये से अधिक होना अनिवार्य होगा। साथ ही इकाई व्दारा अपनी उत्पादन क्षमता विगत तीन वर्षों में किये गये औसत उत्पादन से अधिक के अतिरिक्त उत्पादन पर ही सुविधा का लाभ दिया जायेगा। जिन इकाईयों व्दारा अपनी उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग नही किया गया हो तो उन्हें विस्तार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

(छ) बीमार लघु श्रेणी उद्योगों के लिए पुनर्जीवन योजना अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी व्दारा इकाई को बीमार लघु उद्योग इकाई के लिए पुनर्वास योजना स्वीकृत करने के उपरान्त पुनर्जीवन पैकेज के अन्तर्गत दिनांक 1.4.2004 को या उसके पश्चात् अतिरिक्त पूंजी निवेश पर इकाई को उपरोक्तानुसार जिले की श्रेणी के लिए निर्धारित निवेश पर अनुदान की पात्रता होगी ।

7— निवेश अनुदान प्राप्त करने की प्रकियाः—

निवेश अनुदान प्राप्त करने हेतु, स्थापित एवं कार्यरत, नवीन लघु उद्योग/ बीमार लघु उद्योग/वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योग में विस्तार/ डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण श्रेणी के या पुनर्वासित उद्योगों के लिए निम्न दस्तावेजों सहित आवेदन उत्पादन दिनांक से 90 दिन में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में प्रस्तुत करेंगे 90 दिन की गणना में उत्पादन एवं आवेदन दिनांक सम्मिलित नही होगें।

(1) निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन पत्र ।

(2) वैध पंजीयन प्रमाणपत्र (नवीन लघु उद्योग इकाई हेतु) एवं वृहद तथा मध्यम उद्योगों के विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीक उन्नयन एवं आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत सुविधा या थ्रस्ट सेक्टर के उद्योगों के अन्तर्गत सुविधा हेतु भारत सरकार का आशय पत्र/लायसेंस/आई.ई.एम. एवं महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र व्दारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र ।

(3) स्थायी पूंजी निवेश सम्बंधी विवरण (व्यय सत्यापन हेतु बिलों की फोटोप्रतियॉ)

(4) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण सम्बंधी पत्र

(5) चाटर्ड एकाउण्टेंट प्रमाणपत्र (मदवार व्यय सत्यापन हेतु)

(6) चाटर्ड इंजीनियर प्रमाणपत्र (भवन हेतु)

(7) उत्पादन दिनांक से आवेदन दिनांक तक कच्चेमाल कय/उत्पाद विकय/विद्युत खपत एवं भुगतान/मजदूरी भुगतान की जानकारी

(8) अनुसूचित जाति/जनजाति होने पर सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

8— निवेश अनुदान स्वीकृति/वितरण की प्रकिया एवं सामान्य शर्तें

1— इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन या विस्तार अंतर्गत उत्पादन पश्चात् इकाई निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सम्पूर्ण जानकारी सहित सम्बंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करेंगे।

2— आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन पत्र पर आवेदन प्राप्त होने की तिथि का उल्लेख महाप्रबन्धक व्दारा अधिकृत प्रबन्धक व्दारा स्पष्ट रूप से किया जावेगा तथा अनुदान हेतु निरीक्षण एवं प्रकरण में कमी पूर्ति के लिए नोडल अधिकारी (सहायक प्रबन्धक/प्रबन्धक को) नामांकित किया जावेगा।

3— महाप्रबन्धक व्दारा अधिकृत प्राधिकारी (सहायक प्रबन्धक/ प्रबन्धक) जिसे प्रकरण के निराकरण के लिए दायित्व सौंपा जायेगा वह प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर एक सप्ताह में इकाई के प्रकरण में यदि कोई कमी हो तो लिखित सूचना देगा तथा इकाई से कमी पूर्ति करायेगा। प्रकरण में कमी पूर्ति उपरान्त 15 दिवस में इकाई का निरीक्षण सम्बंधित नोडल अधिकारी व्दारा किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन महाप्रबन्धक को प्रस्तुत करेंगे।

4— महाप्रबन्धक प्रकरण में नोडल अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन एवं योजना में निहित प्रावधान अनुसार परीक्षणोंपरान्त लघु उद्योग इकाईयों के प्रकरणों में पात्रता अनुसार रूपये 1.00 लाख तक निवेश अनुदान राशि स्वीकृति पर 15 दिवस में निर्णय लिया जावेगा। रूपये 1.00 लाख से अधिक राशि के अनुदान हेतु जिला स्तरीय समिति व्दारा निर्णय लिया जावेगा। वृहद एवं मध्यम उद्योग के प्रकरणों में स्वीकृति हेतु उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय म0प्र0 को अपनी अनुशंसा सहित प्रकरण अधिकतम 15 दिवस में प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये। वृहद एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरण में राज्य स्तरीय समिति व्दारा अनुदान स्वीकृति पर निर्णय लिया जावेगा ।

5— लघु उद्योग के प्रकरणों में निवेश अनुदान स्वीकृति के अधिकार जिला स्तरीय समिति के माध्यम से महाप्रबंधक को तथा वृहद एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में निवेश अनुदान स्वीकृति के अधिकार राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय,म0प्र0 को होंगे।

6— अनुदान स्वीकृति पश्चात् महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इकाई से अनुबंध निष्पादित करेंगे तथा अनुबंध इकाई द्वारा पंजीकृत कराया जायेगा।

7— इकाई द्वारा यदि वित्तीय संस्था के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है तो अनुदान राशि वित्तीय संस्था के माध्यम से वितरण की कार्यवाही की जावेगी। अन्य इकाईयों को सीधे अनुदान राशि देय होगी। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र व्दारा उपलब्ध आवंटन राशि के अनुसार अनुदान वितरण की कार्यवाही करेगा।

8— इकाई व्दारा प्रतिवर्ष उत्पादन के ऑकड़े/बैलेन्स शीट महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करेंगे।

9— निवेश अनुदान प्राप्त इकाई को उत्पादन दिनांक के पश्चात् 5 वर्ष तक कार्यरत रहना आवश्यक होगा अन्यथा इकाई को भुगतान की गई अनुदान

राशि तत्समय प्रचलित ब्याज दर के साथ वापस करनी होगी, या राजस्व ऋण वसूली के अनुसार कार्यवाही कर वसूली की जायेगी ।

10— निवेश अनुदान प्राप्त इकाई यदि अपने प्रबन्धकीय नियंत्रण से परे कारणों से 6 माह से अधिक की अवधि तक बंद रहती है तो उक्त अवधि को प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर उद्योग आयुक्त द्वारा शिथिल किया जा सकेगा।

11— इकाई व्दारा गलत तथ्यों / जानकारी के आधार पर निवेश अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / उद्योग आयुक्त इकाई से वितरित निवेश अनुदान की सम्पूर्ण राशि तत्समय प्रचलित ब्याज सहित राजस्व ऋण वसूली के अनुसार कार्यवाही कर वसूली कर सकेंगे।

12— स्वरोजगार एवं अन्य योजनान्तर्गत स्थापित उद्योग जिन्होंने अन्य योजनाओं में पूंजीगत अनुदान प्राप्त किया गया हो इस योजनान्तर्गत अनुदान हेतु पात्र नही होगें।

13— उद्योग आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना अनुदान प्राप्त इकाई उत्पादन दिनांक के 5 वर्ष की अवधि में स्थान परिवर्तन, इकाई का विक्रय एवं स्वामित्व परिवर्तन नही करेगा।

14— योजना के किसी प्रकार की व्याख्या या मार्गदर्शन हेतु उद्योग आयुक्त अधिकृत होगें तथा उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

9— निवेश अनुदान स्वीकृति हेतु निम्नानुसार समिति होगी—

(क) जिला स्तरीय समिति

1— कलेक्टर	—	अध्यक्ष
2— जिला कोषालय अधिकारी	—	सदस्य
3— शाखा प्रबन्धक, म0प्र0वित्त निगम (संबंधित जिले के क्षेत्र हेतु)	—	सदस्य
4— लीड बैक प्रबंधक	—	सदस्य
5— महाप्रबन्धक,जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	—	सदस्य सचिव.

(ख) राज्य स्तरीय समिति

1— अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्य,उद्योग एवं रोजगार विभाग —	—	अध्यक्ष
2— अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग	—	सदस्य

3–प्रबंध संचालक ,एम.पी.एस.आई.डी.सी – सदस्य
4–प्रबंध संचालक, म0प्र0वित्त निगम – सदस्य
5– उद्योग आयुक्त,म0प्र0 – सदस्य सचिव

(क) जिला स्तरीय समिति के बैठक का फोरम 3 का होगा। राज्य स्तरीय समिति का फोरम भी 3 का ही होगा।

(ख) जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय समिति की बैठक आवश्यकतानुसार प्रतिमाह होगी। जिला स्तरीय समिति व्दारा अपने निर्णय का पुर्नाविलोकन कर सकेगा तथा उनके निर्णय के विरूद्ध अपील राज्य स्तरीय समिति को जावेगी।

(ग) जिला स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध निर्णय प्राप्ति के दिनांक से 90 दिवस के अन्दर अपील राज्य स्तरीय समिति के सदस्य सचिव को की जावेगी। विलंब से प्राप्त अपील में राज्य स्तरीय समिति व्दारा गुण–दोष के आधार पर निर्णय लेकर विलंब को शिथिल कर सकेगा।

8– निरसन एवं व्यावृत्ति :–

नवीन अनुदान स्वीकृति योजना 2004 दिनांक 1.4.2004 को या उसके पश्चात् उत्पादन में आई इकाईयों पर लागू होगा। दिनांक 1.4.2004 के पूर्व उत्पादन करने वाली इकाईयों को पूर्व नियम प्रभावशील रहेगें। पूर्व में निराकृत प्रकरण जो पुराने नियमों अन्तर्गत निराकृत किये जा चुके है इस नियम के अन्तर्गत पुनः नही खोले जावेगें।

4.2.3 अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों एवं महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रावधान :–

- अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों एवं महिला उद्यमियों को ब्याज अनुदान बिना किसी अधिकतम सीमा एवं जिलों की श्रेणी के, 5 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- अग्रणी जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमी एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिये स्थायी पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम रुपये 5.00 लाख निवेश अनुदान दिया जाएगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिए स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान की अधिकतम सीमा पिछड़ा अ,ब,स श्रेणी के जिलों में क्रमशः 6.00 लाख, 12.00 लाख एवं 17.50 लाख होगी।

sp 1

Special provisions for Category of Entrepreneurs belonging to schedule caste, Schedule Tribe and Women
Assistance to Thrust Sector Industries

(कंडिका क्रमांक 4.2.2, 4.2.3, 4.2.11, 4.2.19)

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ–20/20/2005/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक 16.06.2005

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश भोपाल।

विषयः– उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना बिन्दु क्रमांक 4.2.2 एवं 4.2.3

उद्योग संवर्धन नीति 2004 एवं कार्य योजना बिन्दु क्रमांक 4.2.2 एवं 4.2.3 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

4.2.2 निवेश पर अनुदान :– लघु उद्योगों को निम्नानुसार स्थायी पूॅजी निवेश पर अनुदान दिया जाऐगाः–

जिले की श्रेणी	अनुदान का प्रतिशत	अधिकतम राशि (रूपए लाख में)
पिछडा ''अ''	15 प्रतिशत	5.00
पिछडा ''ब''	15 प्रतिशत	10.00
पिछडा ''स''	15 प्रतिशत	15.00

4.2.3 अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों के लिये विशेष प्रावधान :–

– अग्रणी जिलो में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिये स्थायी पूॅजी निवेश का 15 प्रतिशत अधिकतम रूपए 5.00 लाख निवेश अनुदान दिया जावेगा।

– अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित लघु उद्योगों के लिये स्थायी पूँजी निवेश पर अनुदान की अधिकतम सीमा पिछडा अ,ब,स श्रेणी के जिलो में क्रमशः 6.00 लाख, 12.00 लाख एव 17.50 लाख होगी ।

2/ उक्त प्रावधानों अनुसार तैयार **मध्य प्रदेश उद्योग निवेश अनुदान योजना –2004** की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

3/ कृपया योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

4/ वित्त विभाग ने यू ओ क्रमांक 380/आर 746/ब–2 दिनांक 20.5.2005 द्वारा इस शर्त के साथ सहमति दी है कि वर्ष 2005–06 में रू0 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है, उस सीमा तक ही व्यय को सीमित रखा जावेगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0 क्रमांक एफ–20–20/05/बी/ग्यारह भोपाल,दिनांक 16.06.05

प्रतिलिपिः–

1/ प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर महालेखाकार ग्वालियर को पृष्ठाकित करने हेतु ।
2/ महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
3/ महालेखाकार,(लेखा एवं परीक्षा) ग्वालियर मध्य प्रदेश ।
4/ प्रबंध संचालक,एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्ह0कार्पो0लि0भोपाल
5/ प्रबंध संचालक,एमपी ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0लि0भोपाल ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

हस्ता/
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

(कंडिका क्रमांक 4.2.2/4.2.1) – संशोधन

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 20/25/2005/बी/ग्यारह भोपाल, दिनांक 07.07.2005

:: आदेश ::

राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के विकसित जिलों (जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर) में स्थापित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उद्योग संवर्धन नीति 2004 में घोषित सुविधाओं के अतिरिक्त निम्न अनुदान प्राप्त करने हेतु अनुमोदन प्रदान करता है :–

1/ **निवेश पर अनुदान सुविधा** :– उद्योग संवर्धन नीति 2004 की कंडिका 4.2.2 के परिप्रेक्ष्य में घोषित निवेश पर अनुदान योजना के अंतर्गत विकसित जिलों में स्थापित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उक्त सुविधा 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 2.5 लाख रूपये की सीमा तक प्राप्त होगी।

2/ **टर्म लोन पर ब्याज अनुदान** :– उद्योग संवर्धन नीति 2004 की कंडिका 4.2.1 के परिप्रेक्ष्य में घोषित टर्म लोन पर ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत विकसित जिलों में स्थापित होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उक्त सुविधा 3 प्रतिशत की दर से 5 वर्ष हेतु अधिकतम 5 लाख रूपये की सीमा तक प्राप्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता/–
(विश्वपति त्रिवेदी)
प्रमुख सचिव,
म0प्र0 शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

पृ0 क्रमांक एफ–20/25/05/बी/ग्यारह भोपाल,दिनांक 07.07.05

प्रतिलिपिः–

1/ प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन कृषि विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3/ उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
4/ प्रबंध संचालक,एम.पी.स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्ह0कार्पो0लि0भोपाल
5/ प्रबंध संचालक,एमपी ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पो0लि0भोपाल।
6/ प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, लि0 भोपाल।

हस्ता/
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

परिशिष्ट–'अ'

उद्योग स्थाई निवेश अनुदान योजना अंतर्गत अपात्र उद्योगों की सूची
(पुनरीक्षित)
(उद्योग संवर्धन नीति–2004 की कंडिका क्र. 4.2.2 के अंतर्गत)

1– फ्लोर मिल (रोलर फ्लोर मिल छोड़कर)

2– ऑईल मिल

3– दाल मिल

4– राइस मिल, राइस हॉलिंग पारबॉयलिंग ऑफ पैडी, पोहा, मुरमुरा

5– कागज बनाने वाले कारखाने (बगास पर आधारित उद्योगों को छोड़कर)

6– सभी प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस,

7– कॉटन जिनिंग व प्रेसिंग फैक्ट्रीज

8– आईस फैक्ट्रीज, कोल्ड स्टोरेज

9– बियर निर्माण, पोटेबल अल्कोहल, इण्डस्ट्रीयल अल्कोहल का निर्माण

10– टेलरिंग

11– कारपेंट्री, लकड़ी की चिराई, आरा मिल, सभी प्रकार के लकड़ी के आयटम्स

12– ड्राईक्लिनिंग

13– रस्सी का निर्माण

14– बुक बाईंडिंग

15– पेपर बैग्स

16– रबर स्टाम्प मेकिंग

17– एक्सरसाईज नोटबुक्स का निर्माण

18– लिफाफों का निर्माण

19– बेकरी प्रोडक्ट्स एण्ड बिस्किट्स

20– पोल्ट्री, केटलफीड, पोल्ट्रीफीड

21– कन्फेक्शनरी

22– मिठाई, नमकीन सामग्री बनाना, मसाले तैयार करना

23– फोटोस्टेट कार्य

24– क्लिनिकल–पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी

25– डाटा प्रोसेसिंग

26– फायर वर्क्स मेन्युफेक्चरिंग

27– ब्युटी पार्लर

28– स्कोअरिंग

29– होजियरी

30– पत्तल एवं दोना निर्माण

31– बोरवेल एवं ट्यूबवेल ड्रिलिंग

32– हायब्रिड सीड निर्माण

33– गेस्टहाऊस, होटल, हाऊस बोट

34– शू–पेटर्न्स एवं मोल्ड मेकिंग

35– स्मोकलेस फ्यूल मेन्युफेक्चर, कोक मेकिंग

36– कार्क मेकिंग

37– ब्रास/कापर प्लेट एवं सर्कल मेन्युफेक्चर

38– सभी प्रकार के लेमिनेशन (जूट बैग्स के लेमिनेशन को छोड़कर)

39– स्टील क्लीप का निर्माण

40– पेपर से बनी वस्तुएं जैसे–पेपर ट्यूब

41– फिशिंग नेट मेकिंग

42– स्टोन क्रशिंग एवं गिट्टी निर्माण

43– सभी प्रकार के प्रिंटिंग कार्य (हेण्डक्राफ्ट प्रिंटिंग को छोड़कर)

44– इलेक्ट्रीकल जॉबवर्क्स

45– इलेक्ट्रीकल कंट्रोल पेनल असेम्बली

46– टायर रिट्रेडिंग जॉबवर्क्स

47– रिकंडिशनिंग एण्ड सर्विसिंग आफ आटो इंजिन्स

48– वुड वूल इन्सुलेशन बोर्ड

49– रीट्रिडिंग आफ इण्डस्ट्रीयल आटोमोबाईल माल्डेड प्रोडक्ट एण्ड रबर होजेस

50– डिस्टिल वाटर का निर्माण (स्वतंत्र इकाई)

51– प्लेयिंग कार्ड का निर्माण

52– प्रिंटिंग आफ एल.डी.पी. एण्ड एच.डी.पी बैग्स

53— लाईम पावडर, लाईम चिप्स एण्ड डोलोमाईट पावडर का निर्माण

54— ग्राइंडिंग ऑफ मिनरल (स्वतंत्र इकाई)

55— साफ्ट ड्रिंक मेकिंग एवं बॉटलिंग

56— स्लॉटर हाउस

57— एरिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स मेकिंग व बाटलिंग (पल्प पर आधारित कोल्ड ड्रिंक्स को छोड़कर)

58— तम्बाकू एवं तम्बाकू पर आधारित उत्पाद

59— मदिरा

60— पान मसाला

61— गुटखा

62— अन्य ऐसे उद्योग जो कि राज्य शासन द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किये जावें।

नोट— रूपये 1.00 करोड़ से अधिक स्थायी पूँजी वैष्ठन करने वाली इकाई, यदि उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना—2004 की सुविधा नहीं चाहती है, तो ही इस योजना में लाभ ले सकेगी।

2— किसी पात्र औद्योगिक इकाई को उद्योग स्थायी निवेश अनुदान योजना के साथ टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ तो प्राप्त हो सकता है किन्तु ऐसी इकाई उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना—2004 की पात्रता नहीं रखेगी।

3— रूपये 1.00 करोड़ से अधिक स्थायी पूँजी वैष्ठन करने वाली इकाई को यह विकल्प देना होगा कि वह केवल उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना—2004 की सुविधा का लाभ लेना चाहती है अथवा इसके विकल्प के रूप में उद्योग स्थायी निवेश अनुदान योजना एवं टर्मलोन पर ब्याज अनुदान योजना का लाभ लेना चाहती है। एक बार विकल्प लिये जाने के पश्चात् उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

4— नवीन उद्योग नीति में प्रावधानानुसार डायवर्सीफिकेशन/क्षमता विस्तार/तकनीकी उन्नयन किये जाने पर देय सुविधा हेतु भी उपरोक्त सूची लागू होगा।

——————————

परिशिष्ट – 'अ'

म.प्र. शासन पृथक आगम विभाग द्वारा प्रसारित अधिसूचना क्रमांक 16.06.89 ग्यारह–ब दिनांक 17 जुलाई, 1989

ANNEXURE-III

List of Products of Food Processing

(For Madhya Pradesh Industries Investment subsidy scheme-2004)

1. Packaged vegetables and fruits including dehydrated vegetables .
2. Packaged sauces, purees and pulps and ketchup including tomato paste.
3. Packaged cereal based foods including cornflakes and oat meal.
4. Packaged processed spices and spice based powder, including onion powder and garlic powder and packaged iodised salt.
5. Packaged garlic oil, olive oil and vinegar.
6. Packaged marmalades, jams, jellies and pickles.
7. Packaged oleoresins.
8. Packaged solvent extruded oil or packaged refined oil produced in a unit which is attached to a solvent extrusion plant including packaged solvent extracted rice bran edible oil and mango kernel oil.
9. Packaged malt based food products excluding liquor.
10. Packaged instant food.
11. Packaged instant tea & coffee.
12. Packaged milk products like condensed milk & milk powder.
13. Packaged confectionery items including chocolates.
14. Pectin and papain from papaya and pectin from lime waste.
15. Ready to eat ready-mix and instant food items sold as packaged snacks and packaged extruded food.
16. Soya milk and fruit or vegetable based beverages sold in packages including packaged fruits and vegetable concentrates, cordials and squashes.
17. Soya-based products like textured vegetable proteins and snack food, defatted soya flour, full fatted soya flour, soya concentrate lecithin, epoxydised soya bean oil (food grade), soya isolates, soya proteins and GMS(GlucoMono Stearate)
18. Sugar cubes and sugar packed in consumer packages like sachets.
19. Bakery products including bread, cakes, buns&biscuits.
20. Glycerin (food grade).
21. Edible sal fat.
22. Pasturised butter, margarine, chees, vanaspati and bakery shortening such as yeast.
23. Edible grade gelatin.
24. Containers and packages for processed food items.

(Published in Madhya Pradesh Rajpatra dated 4.8.89)